न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी

बनाम

अप्रार्थी :– माघुराम पुत्र जैकाराम गुर्जर निवासी रोहिण्डी

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 34 / 17

निर्णय दिनांक 26 / 7 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद रोहिण्डी के ख.न. 770 / 1 रकबा 0.05 है. भूमि किस्म गै.मु. रास्ता में ग्वार की फसल बो कर अतिकमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी को स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 26.7.17 को उपस्थित हुआ लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही करने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिकमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिकमित रकबा 0.05 है. भूमि के 0.50 रूपये लगान का 50 गुणा 25 /– अक्षरे पच्चीस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

पंजिका 4 सन 17-18 पृष्ठ सं. 4

पर रु० 25/- रु० की

मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार